(17)

परिपत्र संख्या–08 / सामा–2(1)27 / 97

प्रेषक,

महानिदेशक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँकः 28 मार्च, 2006

विषयः प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों को भोजन, शुद्ध पेयजल, सफाई तथा बीमारी के उपचार की समुचित व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या–12 / सामा–2(1)27 / 97, दिनाँक 28 अप्रैल, 2005, परिपत्र संख्या–31 / सामा–2(1)27 / 97, दिनाँक 12.09.2005, परिपत्र संख्या–38 / सामा–2(1) 27 / 97, दिनाँक 08.11.2005, परिपत्र संख्या–05 / सामा–1(5)–66 / चिकि0, दिनाँक 21.03.2006 के अनुक्रम में कहना है कि शासन के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में समय–समय पर कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था तथा कारागारों में सफाई व्यवस्था, खानपान, शुद्धपेयजल की उपलब्धता एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित उपचार की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यालय स्तर से जारी किए जाते रहे हैं।

प्रदेश की कारागारों में निर्धारित बन्दी क्षमता से बहुत अधिक बंदी निरूद्ध है। गर्मी का मौसम भी आरम्भ हो गया है तथा इस मौसम में सही खान–पान, शुद्ध पेयजल एवं सफाई की व्यवस्था कारागारों में समुचित ढंग से न होने के कारण कैदियों में मौसमजनित बीमारियों की आशंका उत्पन्न हो जाती है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या–694जे0एल0 / 22–3–06–41 / 2005 दिनाँक 08 मार्च 2006 के माध्यम से पुनः यह अपेक्षा की गयी है कि समस्त वरिष्ठ अधीक्षकों / अधीक्षकों को यह निर्देश दे दिये जायें कि बंदियों को निर्धारित मानक और गुणवत्ता के अनुसार भोजन तथा शुद्धपेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा कारागार परिसर विशेषकर बैरकों में सफाई की समुचित व्यवस्था करायी जाए। बंदियों के बीमार होने की दशा में उन्हें चिकित्सीय सुविधा तत्काल उपलब्ध करायी जाए, ताकि बंदियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि उनकी समुचित सुरक्षा एवं देखभाल का उत्तरदायित्व कारागार प्रशासन का है।

अतः मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों एवं शासन के उपरोक्त उल्लिखित निर्देशों के अनुक्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कारागारों में निरूद्ध बंदियों को निर्धारित मानक और गुणवत्ता के अनुसार भोजन तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा कारागार परिसर विशेषकर बैरकों में सफाई की समुचित व्यवस्था करायी जाए। बंदियों के बीमार होने की दशा में उन्हें चिकित्सीय सुविधा तत्काल उपलब्ध करायी जाए, ताकि बंदियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना सुनिश्चित करें।

महावीर यादव
महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆